

कैरिज वर्कशॉप अजमेर

मुख्य कारखाना प्रबंधक :-

मुख्य कारखाना प्रबंधक, अजमेर कारखानों में निमंलिखित इकाईयों पर संपूर्ण प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्रण रखते हैं! अन्य कार्यों के साथ, आउटपुट की प्रगति की मोनिटरिंग, कार्यों और एम् एंड पी की योजना, स्टाफ के स्थापना और कल्याण मामले तथा दैनिक कार्य!

कैरिज कारखाने के प्रधान उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर(कैरिज) है इस कारखाने में रेलवे कोचिंग स्टॉक की आवधिक ओवर हौलिंग मरम्मतका कार्यहोता है

1.0 कार्य शक्तियाँ और कर्तव्य (ड्यूटी)

i. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (कैरिज)

- 1 कैरिज कारखाना अजमेर में होने वाले समस्त परिचालनों का पूर्ण उत्तरदायित्व
- 2 बाहरी निकायों इत्यादि के साथ संपर्क
- 3 इन्हें उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा एसओपी भाग ए से ई के अनुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं ।
- 4 समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/ड्यूटी

ii कारखाना प्रबंधक (मरम्मत)

- 1 कोचों और उनके उप संयोजकों के मरम्मत कार्यों का समन्वय करते हैं ।
- 2 उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (कैरिज) की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारी संभालना
- 3 मरम्मत कारखानों की विकास गतिविधियों की योजना ।
- 4 ये कैरिज कारखाना अजमेर के गुणवत्ता प्रबंधक होंगे ।
- 5 ये सुधार के कार्य निरीक्षण कैरिज और विशेष स्टॉक, ए.सी. कोचों की मरम्मत, कोचों का क्षरण (कोरोजन) और पुनःस्थापन (रिहबिलिटेशन), मासिक काँलिंग इन कार्यक्रम तथा सीआरएस सेक्शन और सी.जी. सेक्शन का काम संभालेंगे ।
- 6 कार्यालय भवन व कारखाना शेड इत्यादि के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों हेतु इंजीनियरी विभाग के साथ संपर्क ।
- 7 इन्हें उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा एसओपी भाग ए से ई के अनुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं ।
- 8 समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/ड्यूटी ।

iii उत्पादन इंजीनियर (कैरिज)

- 1 उत्पादन कारखानों जैसे व्हील शॉप, मशीन शॉप, स्मिथी शॉप, मिलराईट शॉप और केबिनेट सेक्शन का संपूर्ण पर्यवेक्षण^{AA} ।
- 2 उत्पादन नियंत्रण संगठन का पूर्ण नियंत्रण।
- 3 उत्पादन की सर्वाधिक उत्पादक और सर्वोत्तम विधि तथा मशीनों के सर्वाधिक उत्पादक प्रयोग की योजना बनाना और सुनिश्चित करना।
- 4 रेट फिक्स करने की विप्लेषणात्मक विधि अपनाकर प्रत्येक परिचालन के लिए मानक समय निर्धारित करना।
- 5 शॉप के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता के लिए भंडार विभाग के साथ सम्पर्क।

6 एमएण्डपी , वक्रर्स और आरएसपी प्रोग्राम के लिए भेजे गए प्रस्तावों और सामग्री अनुसूची की मांनीटरिंग और उसे विधिवत् अनुमोदित करके समय पर प्रधान कार्यालय भेजने का सुनिश्चय।

7 इन्हें, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा एसओपी भाग ए से ई के अनुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है।

8 समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/झूटी।

9. ये आईएमएस गतिविधियों के लिए प्रबन्ध प्रतिनिधि होंगे ।

iv सहा. कारखाना प्रबन्धक (मरम्मत)

1 कोच अंडर गियर सेक्शन की गतिविधियों पर सम्पूर्ण नियंत्रण

2 कोच अंडर गियर सेक्शन में कोचों और उक्त संयोजकों की मरम्मत का पूर्ण पर्यवेक्षण।

3 इन्हें, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा एसओपी भाग ए से ईके अनुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है।

4 समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/झूटी।

5 ये आईएमएस गतिविधियों के लिए प्रबन्ध प्रतिनिधि होंगे ।

v सहायक निरीक्षण अधिकारी

1 यार्ड और निरीक्षण की गतिविधियों पर सम्पूर्ण नियंत्रण।

2 कोचों की फीडिंग और कोचों के आउटटर्न का पूरा नियंत्रण।

3 इन्हें, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा एसओपी भाग ए से ई के अनुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है।

4 समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/झूटी।

vi सहायक कारखाना प्रबंधक (सी)

1 कोच बॉडी z उल्लिखित सेक्शन में कोचों और उक्त संयोजकों की मरम्मत का संपूर्ण पर्यवेक्षण

3 इन्हें उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा एसओपी भाग ए से ई के अनुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है।

4 समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/झूटी

vii सहायक कारखाना प्रबंधक (एम)

1 व्हील शॉप, मशीन शॉप, स्मिथी शॉप, मिलराईट शॉप और केबिनेट सेक्शन में उत्पादन और रखरखावकी गतिविधियों पर सम्पूर्ण नियंत्रण ।

2 इन्हें, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा एसओपी भाग ए से ई के अनुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है।

3 समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/झूटी ।

viii सहायक कार्मिक अधिकारी

क) स. का. अधि. (डब्ल्यू), स्थापना सम्बन्धी मामलों जैसे भर्ती, पदोन्नति, पदोवनति और स्थानान्तरण और वेतन का भुगतान, सेटलमेंट, कर्मचारी कल्याण से सम्बन्धित काम के लिए जिम्मेदार होंगे तथा औद्योगिक सम्बन्ध कायम रखेंगे ।

ख) इन्हें उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा एसओपी भाग ए से ई के अनुसार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है।

ग) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/झूटी ।

ix सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज

क) कारखाने विभिन्न शॉपों में बंटे हुए है, जो सी. से. इंजी. के पर्यवेक्षण में है। सी. से. इंजी. के अधीन सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर हैं, जो इन्हें पर्यवेक्षण कार्य में सहायता करते है।

- ख) लक्षित आउट टर्न हासिल करना और गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखना।
- ग) यह सुनिश्चित करना कि उत्पाद और सेवाएं ग्राहक को संतुष्ट करें।
- ध) ऐसे क्षेत्रों में जहां कार्य निष्पादन आवश्यक है क्रियान्वयन करना और स्तर सुधारना
- च) कार्यकुशलता और गुणवत्ता सुधारना
- छ) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/झूटी

x अन्य पर्यवेक्षक(सी. से. इंजी., जूनि.इंजी.)

- क) ये पर्यवेक्षक उच्चस्तरीय पर्यवेक्षकों के अधीनस्थ हैं।
- ख) दैनिक लक्षित आउटटर्न की योजना बनाना और उस पर अमल करना।
- ग) वांछित गुणवत्ता के उत्पादन और सेवाएं सुनिश्चित करना

xi स्टाफ

विभिन्न शापों के अधीन कार्यरत आर्टिजन स्टाफ ऊपर बताए अनुसार पर्यवेक्षकों के निर्देशन में दैनिक मरम्मत, रखरखाव और अन्य कार्य करते हैं

xii अनुसचिवीय कर्मचारी

- 1 ये सेक्शन का पूरा रिकार्ड जैसे वरियता सूची, सेवापंजिका, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, अप्रेंटिसों की भर्ती, मांग, संवर्ग, सामान्य सूचना की पीसीडीओ का भेजना, सेटलमेंट से संबंधित कार्य, कर्मचारियों के पास, दुर्घटना रिपोर्ट, हिन्दी से संबंधित काम, पीएफ और अन्य अग्रिम, कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी रिकार्ड, पी.एफ. रिकार्ड इत्यादि।
- 2 पी.एफ. और अन्य, अग्रिम से संबंधित रिकार्डों, व्यक्तिगत प्रकरण और अन्य सभी रिकार्ड जो सेक्शन में रखे जाते हैं, उनका रखरखाव
- 3 टाईम कीपिंग के रिकार्ड रखना
- 4 समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य/झूटी

2.0 पर्यवेक्षण और दायित्व के चैनलों सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली विधिनिर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण और दायित्व के चैनल निम्नलिखित प्रकार है -

i) उप.मु.या.इंजी. (कैरिज) - ये इनके अधीन होने वाले कामों के लिए प्रधान कार्यालय/रेलवे बोर्ड/आर डीएसओ से प्राप्त होने वाले नीति निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। ये इन्हें प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अंदर, पूरी प्रणाली और अपने अधीन स्टाफ पर नियंत्रण रखते हैं, और प्रणाली के लिए संपूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

ii) कारखाना प्रबंधक (मरम्मत)/उत्पादन इंजी. (कैरिज) - ये उप.मु.या.इंजी. (कैरिज) के अधीन कार्य करते हैं और दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। गुप लीडर होने के नाते, यह अपनी झूटी के अन्तर्गत निर्धारित निरीक्षण, मार्गदर्शन और अन्य कार्य करेंगे। ये इन्हें दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं और इसके लिये ये पूरी तरह जिम्मेदार और जवाबदेह हैं।

iii) सहा. कारखाना प्रबंधक (आर)/सहा.कारखाना प्रबंधक(सी) / सहा.कारखाना प्रबंधक (एम)/(एआईओ) :- ये अपने नियंत्रण के कार्यों के लिए संबंधित कारखाना प्रबंधक/उत्पादन इंजीनियर से मार्गदर्शन लेते हैं। ये अपने अधीन पर्यवेक्षकों पर नियंत्रण रखते हैं और अपने अधीन प्रणाली (सिस्टम) के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं।

iv) पर्यवेक्षक :- पर्यवेक्षक संबंधित अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम करते हैं और आवंटित कर्मचारियों की सहायता से शाप में पीओएच/मरम्मत/उत्पादन के कार्य सम्पन्न करते हैं, लगभग 9 मुख्य सेक्शन जिनके प्रधान वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं, विभिन्न गतिविधियाँ निष्पादित करते हैं और

अपने यूनिट को आबंटित किये गये कार्य के लिए इन्चार्ज सुपरवाइजर पूर्ण रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं।

3.0 कार्यकलापों को संपादित करने के लिए निर्धारित किये गये मानदंड

कार्यकलापों के प्रभावी संपादन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय/रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्ड:-

गतिविधि		वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक आउट टर्न
बीजी कोच का पीओएच (गैर एसी)	पीओएच	324	328
बीजी कोच का पीओएच (एसी)	पीओएच	60	66
डेमु	पीओएच	123	102
एस एस -2 एल एच बी		228	235
एस एस -3 एल एच बी		264	194

4.0 कार्यालय में अथवा इसके नियंत्रण में रखे जाने वाले तथा कार्य निष्पादित करने हेतु कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले नियम विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकॉर्ड/ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए आवश्यक मागदर्शन हेतु कैरिज शॉप, डीजल एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र, सीएमटी संगठन और लेखा कार्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रलेख/मैनुअल रखे जाते हैं।

- i) भारतीय रेल स्थापना संहिता । और ॥
 - ii) भारतीय रेल यांत्रिक संहिता
 - iii) वक्रस मैनुअल
 - iv) भारतीय रेल इंजीनियरिंग संहिता
 - v) भारतीय रेल वित्त संहिता । और ॥
 - vi) महाप्रबन्धक द्वारा जारी शक्तियों की अनुसूची ए से ई
 - vii) भारतीय रेल दुर्घटना मैनुअल
 - viii) फैक्ट्री एक्ट 1948
 - ix) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम
 - x) वेतन भुगतान अधिनियम
 - xi) सेवा आचरण नियम 1966
 - xii) पास और पेंशन मैनुअल
 - xiii) लेखा संहिता भाग-1
 - xiv) भविष्य निधि मैनुअल
 - xv) वित्त मैनुअल
 - xvi) इंजीनियरी संहिता
 - xvii) भंडार संहिता । और ॥
 - xviii) निरीक्षण मैनुअल
 - xix) रेलवे - एक परिचय
 - xx) प्रशासन और वित्त
 - xxi) रेलवे पेंशन नियमों का मैनुअल
- उपर्युक्त प्रलेखों/मैनुअलों के अलावा कर्तव्यों (ड्यूटी) के निर्वहन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन हेतु विद्युत कारखानों द्वारा निम्नलिखित भी रखे जाते हैं।
- क) भारतीय विद्युत अधिनियम 1956
 - ख) भारतीय विद्युत अधिनियम 1959
 - ग) विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948
 - घ) ट्रेक क्रॉसिंग का विनियम 1987

			कार्यालय	निवास	कार्यालय	निवास			ल
ऋत्तिक शर्मा	उमुयांइंजी (कै.)	अजमेर	47100	47577	2663729		9001196452	-	2663729
रिक्त	उ. इंजी. (सी)	अजमेर	47106	-	2663726	-	9001196463	-	-
दीपक डामोर	का.प्र. (आर)	अजमेर	47116	.	2663736		9001196472		
आर. एल. खंडेलवाल	वरि. ईडीपीएम	अजमेर	47130	-	2663728	-	9001196581	47102	-
रिक्त	स.का.प्र. (आर)	अजमेर	47118	-	-	-	-	-	-
रिक्त	स.का.प्र. (आई)	अजमेर	-	-	-	-	-	-	-
वंदना चौबे	स.का.अधि. सी एंड डब्ल्यू	अजमेर	47110	-	-	-	9001196471	-	-
दीपक विजय	स.का.प्र. (सी) सी एंड डब्ल्यू	अजमेर	47112	-	-	-	9001196466	-	-
रिक्त	स.उ. इंजी. (सी)	अजमेर	47106	-	2663726	-	-	-	-

9.0 आवंटित राशि सहित आर्थिक सहायता कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका और इस कार्यक्रम के लाभग्राहियों का विवरण:-

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए
.....कोई नहीं

10.0 रियायती परमिट प्राप्त करने वालों तथा उनके द्वारा प्राधिकार दिए जाने का विवरण
कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला
.....कोई नहीं

11.0 इनको दी जाने वाली या इनके द्वारा रक्खी जाने वाली सूचना के संबंध में विवरण इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में
कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए

1. निविदा आमंत्रण सूचना
2. निविदा अनुसूची और विनिर्देश
3. कार्य ठेके की शर्तें एवं निबंधन
4. संविदा की सामान्य शर्तें
5. संविदा करार

12.0 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण और सार्वजनिक प्रयोग के लिए कोई पुस्तकालय या वाचनालय है तो उसके कार्य घंटे

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए
.....कोई नहीं

13.0 जनसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए

अधिकारी का नाम	पदनाम	स्थान	दूरभाष नं.		मोबाईल नं.	फैक्स नं. बीएसएनएल
			बीएसएनएल	रेलवे		

			कार्यालय	निवास	कार्यालय	निवास		
अशोक कुमार अबरोल	सी. डब्ल्यू. एम .	अजमेर	266371	2422005	47000	44561	9001196450	2663732
ऋत्विक् शर्मा	डिप्टी सीपीओ	अजमेर	2663730	2670858	47704	-	9001196458	2663730

14.0 ऐसी कोई अन्य सूचना जो निर्धारित की जाये और इसके बाद इसे प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाए ।
कैरिज कारखाना, डीजल, लोको एवं वैगन शॉप, विद्युत शॉप, कार्मिक शाखा, लेखा कार्यालय, पर्यवेक्षक
प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रोनिक सामग्री शोध केन्द्र एवं रसायन तथा धातुकर्म प्रयोगशाला के लिए

-----कोई नहीं -----
